तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/2/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक – 17/4/25 को पेश हो।	
17/4/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक – 19/6/25 को पेश हो।	
19/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक – 30/06/25 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित भूमिया प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है जिन्होंने प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 5188 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है व आये दिन कब्जा करने की कोशिश कर प्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित भूमि में निहित प्रार्थी के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 5188 के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करने, कब्जे में प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने तथा भूमि पर जबरन खम्भे गाडकर तार पेसिंग नहीं करने हेतु दौराने वाद पाबंद किया जावे। उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 5188 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होकर अप्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय से ही प्रार्थीगण की जानकारी में चला आ रहा है।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर मकान बनाकर शेष भूमि पर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण कानूनन रूप से उक्त भूमि के खातेदार बन चुके है। प्रार्थीगण के अधिकार समाप्त हो चुके है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रकरण गलत तथ्यों पर पेश किया है, जो खारिज योग्य है।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 288 वाके ग्राम बालोला में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अन्य सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया हुआ है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 288 के खसरा संख्या 5175, 5176, 5178, 5179, 5180, 5184, 5188 कुल किता 7 कुल रकबा 1.1331 हैक्टेयर वाके ग्राम बालोला पटवार मण्डल अमरत्या में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल करने बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित भूमियां सह खातेदारी की भूमियां होने से बिना बंटवारे के प्रार्थीगण का कौनसा खसरा नम्बर है स्पष्ट नहीं है साथ ही अन्य सहखातेदारों को भी प्रार्थीगण या अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। मूल वाद निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है। कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा का वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बन रहा है।
2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 288 के खसरा संख्या 5175, 5176, 5178, 5179, 5180, 5184, 5188 कुल किता 7 कुल रकबा 1.1331 हैक्टेयर वाके ग्राम बालोला पटवार मण्डल अमरत्या में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल करने बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। मूल वाद निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है। कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा का वाद प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है। 3 अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 288 के खसरा संख्या 5188 पर अप्रार्थीगण का वर्षो पूर्व कब्जा काश्त होने से वर्तमान में प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना बन रही है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	